न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0नं0 :– 08/2022
निर्णय दिनांक :– 06.12.2024
बइजलास :– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. भैरू पुत्र भूराराम
2. मनफूली पत्नि स्व० भूराराम
3. सीताराम पुत्र भूराराम
4. हरिनारायण पुत्र भूराराम

समस्त जातियान जाट निवासीयान मण्डोर तहसील फागी जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर।
2. धन्नी देवी पत्नि कल्याण
3. फूला पत्नि स्व. प्रभाती
4. बाबूलाल पुत्र रामू
5. नाबालिग राजु पुत्र रामू संरक्षक सपरस्त माता रामप्यारी देवी पत्नि रामू
6. राधाकिशन पुत्र रामू
7. रामकरण पुत्र रामू
8. रामधन पुत्र प्रभाती
9. रामप्यारी पत्नि स्व. रामू
10. लालाराम पुत्र प्रभाती
11. हनुमान पुत्र प्रभाती

समस्त जातियान जाट निवासी सवाईजयसिंहपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :– श्री विनोद कुमार जैन वकील प्रार्थीगण
श्री हनुमान सहाय सिहाग वकील **अप्रार्थीगण 2 लगायत 11**
पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
बाबत पत्थरगढ़ी किये जाने

निर्णय

दिनांक :– **06.12.2024**

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी प्रार्थी के कब्जेकास्त की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 560/1 रकबा 0.9863 हैक्टेयर

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

(2)

व खसरा नम्बर 558 रकबा 1.0369 हैक्टेयर वाके ग्राम सवाईसिंहपुरा पटवार हल्का मण्डोर तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। उपरोक्त भूमि के लगवा अप्रार्थी संख्या 02 लगा० 11 की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 560/3, 560/2 व 559 है, जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के मेर सींव पड़ौसी है। प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त भूमि काश्त करते चले आ रहे है जिसके अप्रार्थीगण पडौसी खातेदार काश्तकार होने से उनकी नियत में लगातार फितूर उत्पन्न होने से प्रार्थीगण की भूमि में अनाधिकृत प्रवेश कर जबरन काश्त कर अपनी सीमा में भूमि बताते हुये काश्त करते है। जिसके बाबत प्रार्थीगण के द्वारा विधिवत रूप से अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 5587 507/1 का विधिवत सीमाज्ञान करवाया गया जिसकी नियमानुसार तहसीलदार महोदय फागी के आदेशानुसार व हल्का पटवारी सवाईसिंहपुरा की फर्द मौका रिर्पोट सीमाज्ञान तैयारी की गई जिस पर पडौसी खातेदार द्वारा सीमाज्ञान कार्यवाही सहमत होने के कारण हस्ताक्षर करने से इंकार किया। प्रार्थी के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2021 को करवाये जानें के पश्चात उसी अनुासर मौके पर काबिज काश्त है, लेकिन अप्रार्थीगण जो प्रार्थीगण की उक्त भूमि नीव सीर पडौसी है जिनकें द्वारा प्रार्थीगण की सीमाज्ञान वाली भूमि पर जबरन काश्त करने पर उतारू है जिसके लिये प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से अभी दिनाक 21.03.2022 को कहा कि प्रार्थीगण ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान कराया है सीमाज्ञान की गई भूमि पर काबिज है अप्रार्थीगण को जबरन प्रार्थीगण की भूमि पर नाजायज कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है और वे आये दिन प्रार्थीगण की सीमाज्ञान की गई भूमि की सीमा में जबरन कब्जा करने पर उतारू रहते है जिसके लिये प्रार्थीगण को आवश्यक हुआ है व अपनी भूमि पर पत्थरगढी हेतू आवेदन पेश करें। यह कि प्रार्थीगण के द्वारा भूमि का विधिवत सीमाज्ञान करवा है तथा प अपनी सीमा चिन्हित पर अप्रार्थीगण को किसी प्रकार से कब्जा करने व बनाये रखने कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिसके लिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 24.06.2021 को सीमाज्ञान करवायें जाने के पश्चात सीमा चिन्हित करने तथा जो चिन्हित भूमि प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त की होने से उस पर अप्रार्थीगण के द्वारा नाजायज रूप से कब्जा बनायें रखने तथा उसे किसी भी सुरत में कब्जा नहीं हटानें की अभी दिनाक 21.03.2022 ऐलानिया धमकी देने पर यह प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण उत्पन्न हुआ। प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण सं0 2 लगायत 11 की तरफ से वकील श्री हनुमान सहाय सिहाग ने वकालतनामा पेश किया।

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

(3)

वकील अप्रार्थीगण सं. 2 लगायत 11 ने जवाब नहीं देकर सीधी बहस करने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 2 लगायत 11 का जवाब बन्द किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पुनः सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 वाके ग्राम मोहनपुरा राजावतान खाता सं0 223 के ख0न0 558 व 560/1 में प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 03 मे अंकन किया है कि ख0न0 558 व 560/1 का विधिवत सीमाज्ञान करवा लिया है। उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की भूमि मे अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है। पूर्व मे उक्त विवादग्रस्त आराजी का दिनांक 24.06.2021 को सीमाज्ञान हो चुका है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख0न0 558 रकबा 1.0369 हैक्टेयर व ख.नं. 560/1 रकबा 0.9863 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम सवाईजयसिंहपुरा तहसील फागी मे स्थित आराजीयात के पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी किया जाकर, पडौसी खातेदारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान करते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। पत्थरगढ़ी केवल सीमाचिह्न की जानकारी मात्र हेतु की जावें। कब्जे सम्बंधी विवाद हो तो सक्षम न्यायालय में सक्षम धाराओं में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

6/12/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला-दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला-दूदू